भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2954

दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय अदरक केंद्र

2954. श्री रिचर्ड वनलालह्मंगइहा:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग ने अदरक के महत्वपूर्ण उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मिजोरम को राष्ट्रीय अदरक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की संभावना के संबंध में कोई अध्ययन या मूल्यांकन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या नीति आयोग ने मिजोरम से अदरक की खेती, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम या नीति की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नीति आयोग के समन्वय से किसी केंद्रीय पहल के अंतर्गत मिजोरम को भारत के अदरक हब के रूप में विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) नीति आयोग ने मिजोरम को राष्ट्रीय अदरक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन नहीं कराया है।

(ख) नीति आयोग ने मिजोरम में अदरक की खेती, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग अथवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम या नीति की अनुशंसा नहीं की है।

(ग) एवं (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने ₹189.79 करोड़ के परिव्यय से मिजोरम राज्य के लिए "मिशन जिंजर कल्टिवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट" प्रारंभ किया है। यह मिशन नीति आयोग सहित सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है तथा इसका उद्देश्य उत्पादन, कटाई-उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, विपणन तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण सहित अदरक मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में विद्यमान प्रमुख कमियों को अभिसरण-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से दूर करना है। इस मिशन के अंतर्गत एक एकीकृत प्रसंस्करण केंद्र तथा तीन स्पोक केंद्र स्थापित किए जाने, 30 से अधिक कार्यनीतिक अंतःक्षेपों के कार्यान्वयन तथा लगभग 20,000 कृषक परिवारों को अनुरेखणीयता, गुणवत्ता आश्वासन, विशिष्टता तथा किसान-आधारित मूल्य सृजन पर आधारित एकीकृत अदरक मूल्य श्रृंखला इकोसिस्टम से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।